## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – महीपाल सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नंबरः– 165 / 2022 प्रार्थनापत्र

अनवान

1.मुबारिक हुसैन पिता अलादीन रंगरेज निवासी करेड़ा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपस्थित

1. श्री अशोक कुमार लखारा — अधिवक्ता प्रार्थी
2. परोकार सरकार — अधिवक्ता विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक 31.08.2022

प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि सरहद करेडा पटवार हल्का करेडा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 8853 / 4380रकबा 0.5059 हैक्टर भूमि स्थित होकर प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड़ है। प्रार्थी को उक्त वर्णित आराजियात में आने जाने का एक मात्र रास्ता जो कि सरकारी भूमि आराजी नं0 9391 / 4380 से होकर आता–जाता है। जिसमें प्रार्थी अपनी बेलगाड़ी, संज ट्रैक्टर इत्यादि अपने पूर्वजों के समय से लाता ले जाता है जो गाड़ी गडार रास्ता बना हुआ है । उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में आने–जाने हेतु और कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड़ नक्शें में दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद करेडा पटवार हल्का करेडा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 8853 / 4380रकबा 0.5059 हैक्टर भूमि में आने–जाने हेतु सरकारी भूमि आराजी नं0 9391 / 4380 में आता जाता में नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे तथा कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड़ (नक्शें ) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारत मुआवजे की राशि के लिए प्रार्थी सदैव तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए गए। दिनांक 12.07.2022 को नियत की गई तहसीलदार करेड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल फाईल किया गया। विपक्षी संख्या 01 ने जवाब [illegible]। जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:00:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 ने मौका रिपोर्ट अनुसार जितनी भूमि प्रार्थी रास्ते के रूप में प्राप्त करता है उतना ही रकबा प्रार्थी विपक्षी संख्या 01 देता है तो विपक्षी उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर सहमत है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने रास्ते की एवज मे नियमानुसार क्षतिपुर्ती शुल्क अदा कर रास्ता

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

दिये जाने का निवेदन किया अतः प्रार्थी व विपक्षी संख्या के सहमत होने से उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

## आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सरहद करेडा पटवार हल्का करेडा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के बिलानाम आराजी नं0 9391/4380 रकबा 3.0099 किस्म बिलानाम मे से 0.0686 हैक्टर रकबा 30 फिट चौडाई का रास्ता ( नक्शा ट्रेश मे दर्शाये अनुसार) सार्वजनिक रास्ते के रूप मे कायम किये जाने एवं राजस्व नक्शें में रास्ते की तरमीम करते हुए राजस्व रेकार्ड़ में अमल–दरामद करने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार करेंडा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे की उक्तानुसार रास्ते के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की डी. एल. सी. दर से दोगुना से प्रतिकर राशि प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी सख्या 01 को हिस्से अनुसार क्षति पूर्ति अदा की जावे

निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:00:10 IST
Reason: SelfAttested

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर